

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
(फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक.....18/10/2021

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों (प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक) पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था बाबत ।
संदर्भ :- उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक-एफ-3-32/2020/38-1 दिनांक 12.10.2021


---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राज्य शासन द्वारा अक्टूबर, 2021 से अप्रैल, 2022 (07 माह) तक प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध पूर्व स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था करने की सहमति प्रदान की है। पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)



18.10.21

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 725/126/आउशि/राज.स्था./2021
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक.....18/10/2021

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अपर संचालक क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


18.10.21
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12/10/2021

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर,
रायपुर, छ.ग.

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था।


राज्य शासन, अक्टूबर, 2021 से अप्रैल, 2022 (07 माह) तक प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध पूर्व स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था करने की सहमति प्रदान करता है।

2/ जिन महाविद्यालयों में विगत सत्रों में कार्यरत रह चुके अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा कोई निर्देश दिया गया है, उन अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुये न्यायालय निर्देशों के अधीन की जाये।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 38-00027/ब-3/2021, दिनांक 12.10.2021 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यापाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(गौरीशंकर शर्मा)

अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 3-32/2020/38-1

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12/10/2021


प्रतिलिपि:-

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, छ.ग. मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर,

निरंतर.....

//2//

02. माननीय राज्यपाल के सचिव राजभवन रायपुर
 03. सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर
जावक क्रमांक 38-00027/ब-3/2021, दिनांक 12.10.2021,
 04. महालेखाकार छ.ग. रायपुर,
 05. समस्त संभागीय आयुक्त, छ.ग.
 06. समस्त कलेक्टर, जिला.....
 07. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा,
बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/रायपुर/दुर्ग (छ.गं.)
 08. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय.....
 09. समस्त जिला कोषालय अधिकारी छ.ग.
 10. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक,
 11. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर,
 12. आदेश फोल्डर,
- की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


12/10/21

अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग